

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
बैंक ऑफ इण्डिया V/S सीवरी देवी 2024/434

24 06
25

पत्रावली पेश हुई। अधी अधिपक्ता
उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया
गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड में
बचक सम्पत्ति के विचान नामों व पत्रा
में प्लॉट संख्या व आस-पड़ोस का
विक्रम झलक रहे। अतः उक्त विक्रमकारों
के प्राप्ति पत्र जारी किया जाता है।
आदेश सुनाया गया। पत्रावली के तब
सुनार होकर काबिल वमर हो।

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज)